षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.02.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स० एवं श्री रणविजय सिंह, स०वि०स०**	पूर्णिया जिला सहित राज्य के सभी जिलों में 102 एम्बुलेंस कर्मी दिन-रात ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से गर्भवती महिला, रोगी एवं सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल लाने, ले जाने का कार्य करते हैं। सरकार द्वारा 102 एम्बुलेंस का टौल फ्री नंबर जारी करने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मरीज को इस सेवा से उम्मीदें बढ़ी हैं। वर्त्तमान में विभाग द्वारा एम्बुलेंस कर्मी को आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्य कराया जाता है जिससे मानदेय भुगतान में विलंब तथा एम्बुलेंस का रखरखाव ठीक से नहीं होने के कारण 102 सेवा प्रभावित होती है। अत: 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस कर्मी को संविदा पर नियुक्त करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	स्वास्थ्य

2. **श्री सुधांशु शेखर,**
स०वि०स०
श्री ललन पासवान,
स०वि०स०
श्री सत्यदेव राम,
स०वि०स०
श्री रामप्रीत पासवान,
स०वि०स०
श्री मुजाहिद आलम,
स०वि०स० एवं
श्री राजू तिवारी,
स०वि०स०

शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर वर्ष 2010 में राज्य के तीन जिले खगड़िया, भोजपुर एवं बेगुसराय में साक्षर भारत मिशन 2012 के तहत नियोजित कर्मियों के रूप में रखा गया । कार्य की सफलता को देखते हुए शेष 35 जिलों में तीन स्तर पर जिला-प्रखंड और आधार नियोजित कर्मियों के रूप में चयन एवं नियुक्ति किया गया था तथा समय-समय पर प्रशिक्षण का कार्य होता रहा और साक्षर भारत प्रेरक प्रशिक्षित होकर राज्य एवं केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन उन कर्मियों को सेवा से वंचित कर दिया गया है ।

अतः साक्षर भारत प्रेरकों को जल्द योगदान कराकर काम पर वापस लाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/20- 522 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26, फरवरी, 2020 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/20
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/20- 522 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26, फरवरी, 2020 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

26/2/20
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।